

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक— 45 (अभिन्न)

राँची, दिनांक— 25.3.2014

जल संसाधन विभाग के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों
हेतु आवश्यक सूचना

कृपया 31.03.2014 तक होनेवाले व्यय का आकलन कर संभावित प्रत्यार्पण की राशि
दिनांक 28.03.2014 तक निश्चित रूप से प्रत्यार्पण कर दें।

उक्त तिथि के बाद प्रत्यार्पण करने की स्थिति में राशि व्ययगत (Lapse) होने की
जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन,

/15


(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभिन्न)

ज्ञापांक :— 45 (अभिन्न)

राँची, दिनांक :— 25.3.2014

प्रतिलिपि :— प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-1
एवं 2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता, (लघु सिंचाई
सहित), जल संसाधन विभाग/अवर सचिव मुख्यालय, जल संसाधन विभाग/निदेशक,
भू-गर्भ जल निदेशक, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु।

/15


(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभिन्न)

ज्ञापांक :— 45 (अभिन्न)

राँची, दिनांक :— 25.3.2014

प्रतिलिपि :— वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को जल संसाधन विभाग के Web site पर
upload करने हेतु प्रेषित।

/15

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभिन्न)